न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
164 / 2020	08.10.2020	01.01.2021

उनवान

श्रीमति गारी देवी पत्नी रतनलाल मीणा निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थीया

बनाम

[illegible] शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

[illegible]

उपस्थिति 1. श्री अनिल शर्मा
अभिभाषक प्रार्थीया

— : : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 : : —

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है प्रार्थीया के खातेदारी काश्तकारी [illegible] ग्राम दोलतपुरा पटवार हल्का दोलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा मे आराजी [illegible] 1.27 है0 व आराजी नम्बर 717 / 2029 रकबा 0.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.39 [illegible] आराजी के बदिशा उत्तर की ओर विपक्षी के मालिकाना हक व स्वामित्व की बिलानाम [illegible] रकबा 0.55 है0, 714 रकबा 0.45 है0, 699 रकबा 0.42 है0 स्थित है। उक्त वर्णित बिलानाम [illegible] [illegible] उत्तर की ओर आम रास्ता नम्बर 691 स्थित है। उक्त आम रास्ते से प्रार्थीया अपने [illegible] हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 699, 714, एवं 715 के बदिशा पश्चिम की मेर पर स्थित आम [illegible] निर्बाध रूप से आ जा रही है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पेरा न0 1 मे [illegible] आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। बिलानाम आराजी नम्बर 699, 714 [illegible] बदिशा पश्चिमी मेर पर करीब 12 फीट चौडा रास्ता मोके पर मौजूद है उसी रास्ते का उपयोग प्रार्थीया [illegible] पर आने का निर्बाध रूप से करती आ रही है। आये दिन मौके पर विवाद [illegible] आराजी नम्बर 699, 714 व 715 के पश्चिमी मेर पर करीब 12 फीट चौडाई का रास्ता [illegible] में आने जाने हेतु आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा उक्त वर्णित बिलानाम [illegible] 699, 714 एवं 715 के बदिशा पश्चिमी मेर पर 12 फीट चौडाई का रास्ता नक्शा मे [illegible] [illegible] आराजी में आने हेतु दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें बिलानाम भूमि [illegible] डी0एल0सी0 राशि जमा कराने को तैयार है।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को जरिए सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.[illegible] [illegible] प्रार्थीया उपस्थित हुए। एवं वादग्रस्त आराजियात की मौका रिपोर्ट डीएलसी [illegible] तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 594 दिनांक 02.11.2020 [illegible] मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 01.01.2021 को शुक्रवार कैम्प के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया [illegible] प्रार्थना पत्र बावत प्रकरण केम्प में सुनवाई किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। अतः पत्रावली [illegible] गया। बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गयी जिन्होने मौका रिपोर्ट एवं डी0एल0सी0 अनुसार [illegible] पर सहमति प्रकट की है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीया के खसरा नम्बर पर जाने [illegible] 699, 714 एवं 715 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट एवं भूमि की डीएलसी अनुसार मालियत के संबध मे प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया [illegible] की आराजी नम्बर 717 रकबा 1.27 है0 व आराजी नम्बर 717 / 2029 रकबा 0.12 है0 कुल [illegible] कुल रकबा 1.39 है0 जो ग्राम दोतलपुरा प0म0 दोलतपुरा मे स्थित है जिस पर [illegible] अनुसार खातदारान की आराजियात मे से रास्ता दिया जाना है।

[illegible]	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ते हेतु वांछित भूमि [illegible] × [illegible] वर्ग मीटर मे	रकबा वर्ग मीटर मे	रकबा है0 मे	डीएलसी दर प्रति है0	डीएलसी [illegible]
[illegible]	699	0.42	184 × 3.5	644	0.0644	249048	
[illegible]	714	0.45	118 × 3.5	413	0.0430	249048	68688/—
[illegible]	715	0.55	92 × 3.5	322	0.0322	249048	
			कुल राशि				68688/—

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
[illegible]

बहस पर मनन, प्रकरण एव मौका रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा का अवलोकन किया गया, जिससे प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर ग्राम दौलतपुरा प0स0 दोलतपुरा तहसील शाहपुरा मे स्थित प्रार्थीया की खसरा नम्बर 717 रकबा 1.27 है0 व खसरा नम्बर 717/2029 रकबा 0.12 है0 कुल किता – 2 कुल रकबा 1.39 है0 में आने जाने हेतु खातेदार राजस्थान सरकार की बिलानाम आराजी नम्बर 699 रकबा 0.42 है0 में से 603.67 फीट (184 मीटर) लम्बा × 11.48 फीट (3.5 मीटर) चौडा रास्ता हेतु 0.0644 है0 भूमि, आराजी नम्बर 714 रकबा 0.45 है0 में से 387.14 फीट (118 मीटर) लम्बा × 11.48 फीट (3.5 मीटर) चौडा रास्ता हेतु 0.0430 है0 भूमि एव आराजी नम्बर 715 रकबा 0.55 है0 में से 301.84 फीट (92 मीटर) लम्बा × 11.48 फीट (3.5 मीटर) चौडा रास्ता हेतु 0.0322 है0 भूमि कुल 0.1396 है0 भूमि जिसकी डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि 68688/– रूपये बनती है, जो प्रार्थीया द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। **यदि वादग्रस्त आराजी पर किसी अतिक्रमी का अतिक्रमण पाया जावे तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करें।** उक्त आराजी का नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 01.01.2021 सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी (भीलवाड़ा)

(शिल्पा सिंह)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.